किशोर अपराध संबंधी नई विधि एवं बालक श्रम निषेध विधि

1- किशोर द्वारा अपराध करने से अभिप्राय:-

जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो उस व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करके जेल में भेजती है और ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध न्यायालय में मुकदमा विचारण करने के बाद उसे सजा दी जाती है,परन्तु जहां कोई व्यक्ति किशोर हो तो उस किशोर द्वारा अपराध करने पर पुलिस को उसे गिरफ्तार करके जेल भेजने का अधिकार नहीं है और न ही न्यायालय को ऐसे किशोर को अपराध ा में दण्डित करके सजा देने का अधिकार है। इसका कारण यह है कि अपराध कारित करने वाला व्यक्ति किशोर है क्योंकि उसकी सोच इतनी परिपक्व नहीं होती कि उसके द्वारा किये गये कार्यों व परिणामों का वह आभास कर सके, इसलिए ऐसे किशोर द्वारा किये जाने पर पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर उसे जेल भेजने के स्थान पर किशोंरों के लिए स्थापित सम्प्रेषण गृह में रखा जाता है और न्यायालय द्वारा अपराध पाये जाने पर उस किशोर को विशेष गृह मे भेजा जाता है ताकि सजा देने के स्थान पर उसका संरक्षण, विकास एवं पुनर्वास किया जा सके। अब प्रश्न यह उठता है कि किस व्यक्ति को किशोर कहा जा सकता है। जहां एक तरफ किशोरों द्वारा किये गये अपराध के बावत पूर्ण व्यवस्था नये बनाये गये कानून किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 में की गयी है जिसके अन्तर्गत ही अपराध करने वाले किशोर के विरूद्ध सारी कार्यवाही की जाती है इस अधिनियम में विधि विवादित किशोर का नाम दिया गया है अत: किशोर का अपराधी किशोर न कहकर विधि विवादित किशोर के नाम से जाना जायेगा। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो उसके द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो उसको एक साधारण व्यक्ति की तरह अपराधी के रूप में पुलिस एवं न्यायालय द्वारा बर्ताव करके दण्डित नहीं किया जायेगा।

2- किशोर की आयु के निर्धारण करने की प्रक्रिया :-

निश्चय ही किसी व्यक्ति के किशोर होने के लिये यह सिद्ध होना आवश्यक है कि उसकी आयु 18 वर्ष से कम हो तभी उसको किशोर होने का लाभ उपलब्ध कराया जा सकता है इसलिये यदि कोई व्यक्ति किशोर होने का दावा करता है तो उसे अपनी आयु के संबंध ा में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराना आवश्यक है इसलिए किसी व्यक्ति को किशोर मानने से पहले उस व्यक्ति की आयु के संबंध में सम्यक जांच की जायेगी और इस प्रायोजन के लिये वैसा साक्ष्य लेना जैसा आवश्यक है जिसमें उसकी आयु का यथासंभव उल्लेख करते हुए इस निष्कर्ष को अभिलिखित करना होगा कि वह व्यक्ति किशोर या बालक है अथवा नहीं। ऐसी किसी जांच करने के लिए साक्ष्य लेना आवश्यक बताया गया है अत: केवल शपथ-पत्र ही पर्याप्त नहीं है।

3- पुलिस द्वारा किशोर अपराधी को पकड़ने पर जेल नहीं भेजा जा सकता है:-

जब किसी किशोर अथवा बालक द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो ऐसे किशोर को पुलिस द्वारा पकड़ने पर उसे न तो हवालात में रखा जायेगा और न ही उसे जेल भेजा जा सकता है। जहां एक तरफ किशोर को गिरफ्तार करने वाली पुलिस को भी विशेष किशोर पुलिस होनी चाहिये वहां दूसरी ओर ऐसे किशोर को पुलिस द्वारा किसी मजिस्ट्रेट के सम्मुख न पेश करके इस नई विधि के अन्तर्गत गठित किसी किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जायेगा और ऐसे गिरफ्तार किये गये किशोर को जेल में न भेजकर सम्प्रेक्षण गृह में भेजा जायेगा। पुलिस द्वारा ऐसे अपराध करने वाले किशोर को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस थाने में भार साधक अधिकारी द्वारा या विशेष किशोर पुलिस यूनिट द्वारा जब ऐसे किशोर अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है तो उस किशोर के माता-पिता किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष उस किशोर को हाजिर करते समय उपस्थित हो सकें और इसके साथ-साथ पुलिस का यह भी दायित्व है कि वह ऐसे किशोर की गिरफ्तारी की सूचना परिवीक्षा अधिकारी को भी दे ताकि वह गिरफ्तार किये गये किशोर के पूर्व वृतान्त और पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा अन्य तात्विक परिस्थितियों को प्राप्त करके बोर्ड को अवगत करा सकें, और किशोर न्याय बोर्ड द्वारा जांच की जा सके।

4- किशोर अपराधी अथवा विधि विवादित किशोर की जमानत :-

जब किसी अपराध करने वाले किशोर को किशोर न्याय बोर्ड के सम्मुख पुलिस द्वारा पेश किया जाता है तो किशोर न्याय बोर्ड ऐसे किशोर से यह विश्वास होने पर कि यदि उसे छोड़ा जाता है तो किसी ज्ञात अपराधी के सहचर में नहीं आयेगा या उस किशोर का भविष्य नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में नहीं पडेगा या उसके छोड़े जाने से न्यायिक उद्देश्य विफल नहीं होगा तो किशोर न्याय बोर्ड ऐसे अपराध करने वाले किशोर को जमानत पर छोड़ सकता है। यदि ऐसे किशोर को जमानत पर छोड़ा जाना उचित नहीं समझा जाता तो किशोर न्याय बोर्ड ऐसे किशोर के विरूद्ध जांच करने के उद्देश्य से जांच की लम्बित अवधि के लिये उसे कारागार भेजने के स्थान पर सम्प्रेक्षण गृह या सुरक्षा के किसी अन्य स्थान पर भेजा जायेगा । इसी प्रकार विशेष किशोर पुलिस यूनिट या पुलिस थाना

के भार साधक अधिकारी को भी यह अधिकार दिया गया है कि वह किशोर को छोड़े जाने के लिए युक्तियुक्त आधार पाता है तो वह उसे जमानत पर छोड़ सकता है और जब तक वह जमानत पर रिहा नहीं होता, ऐसे अपराध करने वाले किशोर को हवालात में न रखकर सम्प्रेषण गृह में तब तक रखा जायेगा, जब तक कि किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश नहीं किया जाता। इस प्रकार यदि किशोर को जमानत पर नहीं छोड़ा जाता तो किशोर न्याय बोर्ड उसे कारागार में सुपुर्द करने के बजाय उसे संप्रेषण गृह अथवा सुरक्षा के किसी स्थान पर भेजेगा।

5- किशोर के विरूद्ध अपराध के संबंध में किशोर न्याय बोर्ड द्वारा ही जांच की जा सकती है:-

किशोर के विरूद्ध किसी भी अपराध के विचारण के लिए न्यायालय को कोई अधिकार नहीं दिया गया है बल्कि इस नये कानून में किशोर न्याय बोर्ड गठित करने की व्यवस्था है और केवल किशोर न्याय बोर्ड ही किसी किशोर के विरूद्ध अपराध की जांच करके उचित आदेश पारित कर सकता है। इस किशोर न्याय बोर्ड में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रधान मजिस्ट्रट के नाम से पद नामित होंगे। चुंकि किशोर से सम्बन्धित अपराध की जांच के लिये बाल मनोवैज्ञानिक एवं बाल कल्याण की जानकारी होना आवश्यक है जिनको ध यान में रखते हुये इसकी नियुक्ति करने की व्यवस्था की गयी ताकि किशोरों की समस्याओं को समझते हुये उनके अपराध के सम्बन्ध ा में जांच करके उनके प्रति न्याय किया जा सके। किशोर के विरूद्ध अपराध की जांच अब केवल किशोर न्याय बोर्ड ही कर सकता है। इसलिये जब भी किसी बालक द्वारा अपराध किया जाता है तो विशेष किशोर पुलिस द्वारा ऐसे किशोर को बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना होगा जो अपराध की जांच करेगा और इस जांच की प्रक्रिया उसी प्रकार की होगी जैसा कि दण्ड प्रकिया संहिता में सम्मन केस के मामले में की जाती है। जब तक केशोर के विरूद्ध जांच विचाराधीन रहती है तो उस दौरान ऐसे किशोर को संप्रेक्षण गृह या आर्ब्जवेशन होम में रखा जायेगा और जांच के समाप्त होने के बाद जंहा किशोर न्याय बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि किशोर के विरूद्ध समुचित जांच करके और उसके सलाह देने और भर्त्सना करने के बाद तथा माता-पिता या संरक्षक को परामर्श देकर किशोर को घर जाने की अनुमति दे सकता है। इसके अतिरिक्त यदि बोर्ड उचित पाता है तो अपराध की प्रकृति को देखते हुये किशोर को सामुदायिक सेवा करने का आदेश दे सकता है या किशोर के माता-पिता को अथवा स्वंय किशोर को कोई जुर्माना अदा करने का आदेश दे सकता है, यदि वह किशोर 14 वर्ष से अधिक आयु का है और धन अर्जित करता है इसके अतिरिक्त यदि किशोर न्याय बोर्ड उचित पाता है तो किशोर को अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर छोड़ देने का और उसके माता-पिता, संरक्षक अथवा उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख में रखने का निर्देश दे सकता है जो प्रतिभूओं सहित या रहित जैसा कि बोर्ड अपेक्षा करे तीन वर्षो की अधिक की अवधि के लिए किशोर के अच्छे आचरण कल्याण का बन्धपत्र निष्पादित करेगा। इसी प्रकार किशोर द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए बोर्ड किसी किशोर को अच्छे आचरण और कल्याण के लिए अनुकूल संस्था की देखरेख में रखने का भी निर्देश भी कर सकता है। जहां किसी ऐसे किशोर को अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर छोड़ा जाना उचित नहीं समझा जाता तो उस स्थिति में बोर्ड को यह अधिकार है कि किशोर द्वारा अपराध कारित होना पाये जाने पर वह उसे किसी विशेष गृह में भेजने का आदेश पारित कर सकता है। इस प्रकार जहां एक तरफ किसी किशोर द्वारा अपराध करने पर भी किसी किशोर को अपचारी किशोर न कहकर अब इन नये अधिनियम में विधि विवादित किशोर के नाम से बुलाया जायेगा वहां दूसरी ओर अपराध की प्रकृति को देखते हुए किशोर न्याय बोर्ड ऐसे अपराध करने वाले किशोर को अच्छे आचरण पर उसके माता-पिता या संरक्षक या किसी अनुकूल संस्था की देखरेख में छोड़ सकता है और यदि ऐसा छोड़ना उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो ऐसे विधि विवादित किशोर को जेल न भेजकर उसे विशेष गृह में ही भेजने का आदेश पारित किया जायेगा।

6- किसी भी किशोर द्वारा गम्भीर अपराध करने पर विशेष गृह के स्थान पर निरोध कारावास में रखना :-

किसी भी किशोर द्वारा जब कोई अपराध किया जाता है तो उसके द्वारा अपराध को कारित पाये जाने पर उसके विरूद्ध जांच करने के बाद आदेश न्यायालय द्वारा न करके किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किया जाता है लेकिन इस बात के लिये स्पष्ट व्यवस्था कर दी गयी है कि ऐसे किसी किशोर को मृत्यु या आजीवन कारावास के दण्डादेश से दण्डित नहीं किया जायेगा अथवा उसे जुर्माना अदा करने में विफल होने पर कारागार में सुपुर्द नहीं किया जायेगा परन्तु जहां किसी किशोर ने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और उसने कोई अपराध किया हो और बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि किया गया अपराध जो कि ऐसी गम्भीर प्रकृति का है तो बोर्ड विधि विवादित किशोर को विशेष गृह में भेजने के स्थान पर किशोर को सुरक्षा के ऐसे स्थान पर और ऐसी रीति में रखने का आदेश दे सकता है जो वह ठीक समझे, परन्तु इस तरह आदेशित निरोध कारावास की अधिकतम अवधि के लिए दण्डोदश नहीं किया जा सकता है कहने का अभिप्राय यह है कि जब किसी ऐसे किशोर द्वारा अपराध किया जाता है और अपराध करते समय उनकी आयु 16 वर्ष से अधिक परन्तु 18 वर्ष से कम होतो ऐसे किशोर को विशेष गृह में रखने के स्थान पर निरोध कारावास के लिए ऐसी अवधि तक का आदेश दिया जा सकता है जितनी अवधि तक उस अपराध में एक साध ाारण व्यक्ति को सजा दी जा सकती है परन्तु निश्चय ही किशोर के संबंध में यह निरोध कारावास जेल की सजा नहीं होगी।

7- किसी भी किशोर के विरूद्ध साधारण अपराधी व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से कार्यवाही नहीं की जा सकती है :-

यदि कोई अपराध किशोर एवं अन्य साधारण व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है तो उस अपराध के विचारण करने में जहां साधारण व्यक्ति के विरूद्ध अपराध न्यायालय में विचारण करने वहां किशोर के विरूद्ध ऐसा अपराध न्यायालय के सम्मुख विचारण नहीं होगा बल्कि किशोर न्याया बोर्ड द्वारा जांच की जायेगी इसलिये किशोर एवं उस व्यक्ति के विरूद्ध जो किशोर नहीं है संयुक्त रूप से कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

8- किशोर अथवा बालक के प्रति क्रूरता करना, भीख मंगवाना, उनका दुरुपयोग करना या बालकों का मादक पेय या स्वापक औषधि एवं नशीले पदार्थ देने के लिए प्रयोग करना अपराध है :-

यदि कोई व्यक्ति किशोर या बालक का वास्तविक भार या उस पर नियंत्रण रखते हुए किशोर पर प्रहार करे, उसका परित्याग करता है, खुला छोड़ देता है या जान बूझकर उसकी उपेक्षा करता है वह उस किशोर या बालक को संभाव्यत: अनावश्यक मानसिक या शारीरिक पीड़ा कर सकता है वह ऐसी अवधि के कारावास से जो छ: महीने तक हो सकती है या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति किशोर या बालक को भीख मांगने के लिए नियोजित या प्रयुक्त करता है वह ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन वर्षों तक की हो सकती है दण्डनीय होगा और जुर्माना का भागी होगा। जो कोई व्यक्ति किसी किशोर या बालकर को किसी लोक स्थान में यह किसी स्वापक औषिधि या मन:प्रभावी पदार्थ को किसी सम्यक रूप से अर्हित चिकित्सा व्यवसायी के आदेश या बिमारी की स्थिति के सिवाय देता है या देना कारित करता है वह ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन वर्षों तक ही हो सकती है और जुर्माने का भी दायी होगा। इसी प्रकार यदि किसी किशोर अथवा बालक का शोषण किया जाता है तो उस व्यक्ति को इस नये अधिनियम में तीन वर्ष की सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। उपरोक्त कृत्य को अपराध का दर्जा दिया गया है और इन सभी दण्डनीय अपराधों को संज्ञेय बनाया गया है अर्थात पुलिस द्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों को बिना वारण्ट के गिरफ्तार किया जा सकता है।

9- नई विधिक में किशोर के लिए जेल के स्थान पर संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह एवं सुरक्षा के स्थान की व्यवस्था :-

यदि पुलिस या बोर्ड द्वारा किसी किशोर को अपराध करने पर जमानत पर नहीं छोड़ा जाता है तो उसकी जांच के दौरान उसे संप्रेक्षण गृह में रखा जायेगा और अपराध करना पाये जाने पर उसको जेल के स्थान पर विशेष गृह में रखे जाने की व्यवस्था है। जहां पर कोई किशोर अपराध करते समय सोलह वर्ष से अधिक आयु का और 18 वर्ष से कम आयु का था तो ऐसे किशोर द्वारा गम्भीर प्रकृति का अपराध करने पर उसे सुरक्षा के स्थान पर रखा जायेगा जो कि कारागार नहीं होता। अत: किशोर के साथ अपराध करने की दशा में कैदियों जैसा व्यवहार करना मना है।

10- देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक के लिये गृह की व्यवस्था :-

यदि कोई बालक गृह विहीन अथवा जीवन निर्वाह के किसी दृश्यमान साधन के बिना पाया जाता है मानसिक या शारीरिक रूप से रोगग्रस्त है, और उसका सहारा देने वाला कोई नहीं हैं या जिस बालक के माता-पिता बालक पर नियंत्रण स्थापित करने के योग्य नहीं है या उसके इच्छुक नहीं हैं या वह बालक लैंगिक दुरुपयोग अथवा अवैध कार्यों का शिकार हो रहा है या वह दैवी आपदा या किसी सशस्त्र संघर्ष का शिकार हो गया है ऐसे सभी बच्चों को अधिनियम में देख-रेख या संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों से परिभाषित किया गया है। इन सबके लिए बालक कल्याण समिति की व्यवस्था की गयी है जिनका कर्तव्य इन बालकों को सरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास की व्यवस्था करना है।

11- देखरेख और संरक्षण वाले बालकों को बालक कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाना :-

ऐसे बालकों को कोई पुलिस अधिकारी या विशेष पुलिस का अधिकारी या कोई लोक सेवक या रजिस्ट्रीकृत स्वयंसेवी संस्था प्रस्तुत कर सकती है या स्वयं बालक भी उपस्थित हो सकता है जिसके बाद समिति द्वारा जाचं पूरी हो जाने पर यदि उस बालक का कोई परिवार या दृष्यमान सहारा नहीं है तो वह उस बालक को बालक गृह में तब तक रूके रहने की अनुमति दे सकती है जब तक कि उसके लिये उपयुक्त पुनर्वास नहीं प्राप्त कर लिया जाता अथवा वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। इस प्रकार बालक गृह को राज्य सरकार स्वयं या स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर ऐसे बालकों के प्रवेश और उसके बाद उनकी देखरेख, उपचार, शिक्षा, प्रशिक्षण, विकास और पुनर्वास की व्यवस्था करती है।

12- बालक श्रमिकों से जोखिम भरे काम की मजदूरी करवाना अपराध है :-

बाल श्रम (प्रतिषेध विनियम) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत जिस व्यक्ति की आयु 14 वर्ष से अधिक नहीं है वह बालक कहा जाता है और ऐसे बालक से यदि जोखिम भरा काम मजदूरी के रूप में कराया जाता है तो ऐसे काम कराने वाले व्यक्ति को इस अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम 3 माह का कारावास जो 1 वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से जो 10,000/- से कम नहीं हो सकेगा किन्तु जो रू0-20,000/- तक हो सकेगा अथवा दोनों से दण्डित किया जायेगा। जहां तक जोखिम भरा कार्य का प्रश्न है वह इस अधिनियम के

अन्तर्गत इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि ईमारत का निर्माण कराना, सड़क बनाना, ऊन की धुलाई कराना, गलीचा बुनना, सीमेन्ट की बोरियों को अर्न्तवृष्ट करते हुए सीमेन्ट बनाना, चमड़ा निर्माण, इत्यादि सभी कार्य की मजदूरी को जोखिम भरा कहा जायेगा जो व्यक्ति किसी बालक से जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है ऐसा जोखिम भरा काम लेता है उसे दण्डित किये जाने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी या निरीक्षक को इसकी सूचना कर सकता है ताकि ऐसे बाल श्रमिक के अपराध करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में परिवाद योजित करके दण्डित कराया जा सके। जहां तक किसी बाल श्रमिक की 14 वर्ष से कम आयु के निर्धारण का प्रश्न है उसके लिऐ विधिवत चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र आयु के बारे में निश्चय साक्ष्य होगा।

13- बालकों के श्रम को गिरवी करना अपराध है :-

यदि ऐसे किसी बालक जिसकी आयु 15 वर्ष से कम है उसके माता-पिता या संरक्षक ऐसे बालक के श्रम को गिरवी करने के लिए मौखिक या लिखित करार करके उसके बदले में कोई सुविधा या अन्य लाभ प्राप्त करते हैं तो वह कृत्य बालक (श्रम गिरवीकरण) अधिनियम 1993 के अन्तर्गत अपराध है जिसमें जो कोई माता-पिता या संरक्षक अपने बालक के श्रम गिरवीकरण के लिए ऐसा करार करेगा तो वह जुर्माना से जो रु0-200/- तक होगा दण्डित किया जायेगा।

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना - पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील - जनपद-

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा ..... निवासी .... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ-

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 1,00, 000/- (एक लाख रुपया)तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :-
   (क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति
   (ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ
   (ग) स्त्री या बालक
   (घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ
   (ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसास, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।
   (च) औद्योगिक कर्मकार
   (छ) युद्ध में शहीद सैनिक आश्रित
   (ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।
4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हाँ तो उसका परिणाम?
5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :-
   (1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु नि:शुल्क अधिवक्ता की सेवायें
   (2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि
   (3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि
   (4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि
   (5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता -

नाम -